XXXIX(a)BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक आर. 1028–दो/15

जिला–सागर

| स्थान तथा दिनांक | (कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 11–5–15 | आवेदक की ओर से श्री डी.के.पासी, अभि. उप. । उन्हें प्रकरण की ग्राहयता एवं स्थगन बिन्दु पर सुना गया ।<br><br>आवेदक अभि. के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आयुक्त ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में केवल आवेदक का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया है और अपील निराकरण हेतु उनके समक्ष लंबित है । ऐसी स्थिति में निगरानी को ग्राहय किये जाने का कोई औचित्य प्रथमदृष्टया प्रकरण में नहीं हैं । जहां तक प्रकरण में स्थगन दिए जाने का प्रश्न है, प्रस्तुत दस्तावेजों के विचार उपरान्त न्यायहित में यह निर्देश दिये जाते हैं कि आयुक्त सागर द्वारा प्रकरण का निराकरण किए जाने अथवा 3 माह जो भी पहले हो तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27–2–15 का कियान्वयन स्थगित रखा जाये । आयुक्त उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का निराकरण तीन माह की अवधि में आवश्यक रूप से करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । आदेश की प्रति अधि.न्याया. को भेजी जावे । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।<br><br>सदस्य | |

पित

निगरानी 1028-II-15

# समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

शरीफ मुहम्मद बल्द ताजमुहम्मद
साकिन भगतसिंह वार्ड कसाई मंडी, सागर .......आवेदक

//विरूद्ध//

संतोष सोनी बल्द रामशंकर सोनी,
साकिन नरयावली नाका वार्ड सागर
मारूति भवन तह. व जिला सागर .......अनावेदक

श्री डी.के.पासी (एड.) द्वारा आज दि. 11-5-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

## निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमाँक अपील/115/अ–70/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30–04–2015 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–